7

राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्य

भारतीय संविधान का लक्ष्य न केवल राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना है, अपितु जनता को सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान कर कल्याणकारी राज्य स्थापित करना भी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान भाग IV मे वांछित नीति-निर्देशों का वर्णन करता है। ये प्रावधान राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। इस अध्याय में, हम नीति-निर्देशक सिद्धांतों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे।

यह सर्वविदित है कि अधिकारों की महत्ता केवल तभी होती है जब हम कर्तव्यों का पालन भी आनन्दपूर्वक साथ-साथ करें। इसीलिए 1976 में हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धारा 51A में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। 1950 के मौलिक संविधान में इन कर्त्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया था। यह उम्मीद थी कि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन स्वेच्छा से करेंगे। हम इस अध्याय में इन कर्त्तव्यों के बारे में भी पढ़ेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप:

- राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ बता सकेंगे;
- नीति-निर्देशक तत्वों को चार वर्गों में वर्गीकृत कर पाएंगे - आर्थिक एवं सामाजिक, गांधीवादी, अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा तथा विविध प्रावधान;
- शिक्षा की सार्वभौमिकता को प्रोत्साहन देने, बाल मजदूरी का उन्मूलन करने और स्त्रियों की दशा को सुधारने में नीति-निर्देशक सिद्धांतों की भूमिका को समझ सकेंगे;
- नीति-निर्देशक सिद्धांतों द्वारा कल्याणकारी राज्य व्यावहारिक रूप से भारत में कैसे लाया जा सकता है, इसकी व्याख्या कर सकेंगे;
- इस बात का विश्लेषण कर सकेंगे कि नीति-निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है;

टिप्पणी

- इन सिद्धांतों को कार्यान्वित करने में सरकार के महत्त्व का परीक्षण कर सकेंगे;
- मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति-निर्देशक तत्व में अंतर कर सकेंगे;
- मौलिक कर्तव्यों की विषय-वस्तु को जान पायेंगे;
- संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों की पहचान कर सकेंगे; तथा
- मौलिक कर्तव्यों के न्याययोग्य न होते हुए भी उनके महत्व की समीक्षा कर सकेंगे।

7.1 राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ

राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत केन्द्रीय एवं राज्य स्तर की सरकारों को दिए गए निर्देश हैं। यद्यपि ये सिद्धांत न्याययोग्य नहीं हैं, ये देश के प्रशासन में मूल भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत का विचार आयरलैण्ड के संविधान से लिया गया है। आर्थिक न्याय की स्थापना एवं कुछ लोगों के हाथों में धन के संचय को रोकने के लिए इन्हें संविधान में शामिल किया गया है। इसलिए कोई सरकार इसकी अवहेलना नहीं कर सकती। दरअसल ये निर्देश भावी सरकारों को इस बात को ध्यान में रख कर दिए गए हैं कि विभिन्न निर्णयों एवं नीति-निर्धारण में इनका समावेश हो।

7.2 नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण

नीति-निर्देशक सिद्धान्तों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वे हैं:-

(1) आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत;

(2) गाँधीवादी सिद्धांत;

(3) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत और

(4) विविध सिद्धांत

7.2.1 आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत

लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए राज्य निम्नलिखित प्रयास करेगा:

(1) स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आजीविका का पर्याप्त साधन जुटाना।

(2) कुछ हाथों में संपति का संकेन्द्रण रोकने के लिए आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन।

(3) समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को समान पारिश्रमिक मिले।

(4) स्त्री, पुरुष और बच्चों के लिए योग्य रोजगार एवं कार्य का स्वच्छ वातावरण तैयार करना।

(5) बच्चों को शोषण और नैतिक अधोगति से बचाना।

(6) रोजगार एवं शिक्षा का अधिकार तथा बेराजगारी, बुढ़ापे, बीमारी एवं असमर्थता की स्थिति में सरकारी सहायता के कारगर उपाय करना।

(7) कार्य का न्यायोचित एवं मानवीय वातावरण तैयार करना एवं प्रसूति सेवा की व्यवस्था करना।

(8) सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना।

(9) कामगारों विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शिक्षा प्रबंध एवं उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।

(10) सभी कामगारों के लिए उचित अवकाश एवं सांस्कृतिक मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराना।

(11) जीवन स्तर को ऊँचा करने एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना।

(12) छः साल तक के सभी बच्चों को बाल्यकाल की सुविधाएँ एवं शिक्षा की व्यवस्था करना।

7.2.2 गांधीवादी सिद्धांत

कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो महात्मा गांधी के आदर्शों के आधार पर बनाए गए हैं। ये निम्नलिखित हैं:

(1) गांव में पंचायतों का गठन करना।

(2) गांव में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।

(3) नशीले पदार्थों और शराब, आदि पर प्रतिबंध लगाना जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।

(4) गाय, भैंस आदि दुधारू पशुओं की नस्लों को सुधारना तथा उनके वध पर प्रतिबंध लगाना।

7.2.3 विविध नीति-निर्देशक सिद्धांत

विश्व शांति एवं सुरक्षा की दिशा में सहयोग का वातावरण तैयार करने के लिए भारत निम्नलिखित उपाए करेगा:

(1) अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा।

(2) राष्ट्रों के बीच न्यायोचित एवं सम्मानजनक संबंध स्थापित करना।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं संधि से उत्पन्न दायित्वों का सम्मान करना।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का पारस्परिक समझौते के द्वारा हल ढूंढना।

7.2.4 विविध नीति-निर्देशक सिद्धांत

इस वर्ग के सिद्धांत राज्य को निर्देश देते हैं कि:-

(1) सभी भारतीयों के लिए समान आचार-संहिता (सिविल) बनाई जाए।

(2) ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण किया जाए।

(3) पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाना एवं वन्य जीवन का संरक्षण किया जाए।

(4) उपयुक्त विधायन के द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की जाए।

पाठगत प्रश्न 7.1

निम्नलिखित में से गांधीवादी, आर्थिक तथा सामाजिक और विविध प्रकार के नीति-निर्देशक सिद्धांतों को अलग-अलग छाँटिए

(i) कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।

(ii) महिलाओं और पुरुषों के लिए आजीविका के प्रर्याप्त साधन जुटाना।

(iii) कामगारों के लिए उचित पारिश्रमिक की व्यवस्था।

(iv) छः साल तक के सभी बच्चों को बाल्यकाल की सुविधाएं एवं शिक्षा की व्यवस्था करना।

(v) ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण।

(vi) पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाना एवं वन्य जीवन का संरक्षण।

7.3 नीति-निर्देशक सिद्धांत: शिक्षा की सार्वभौमिकता, बाल मजदूर और महिलाओं का स्तर

सामाजिक आर्थिक न्याय एवं कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति में अशिक्षा सबसे बड़ी बाधा है।

7.3.1 शिक्षा की सार्वभौमिकता

पहले आपने पढ़ा है कि नीति-निर्देशक सिद्धांत राज्य को यह निर्देश देते हैं कि संविधान के लागू होने से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए दवाब डालें।

भारत की स्वतंत्रता के समय भारत की केवल 14 प्रतिशत आबादी शिक्षित थी। हमारी सरकार ने शिक्षा के महत्त्व को समझा और लोगों तक शिक्षा पहुंचाने पर जोर दिया। परंतु अभी भी हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा अशिक्षित है। हमारा सर्वप्रथम प्रयत्न प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाए जाने पर है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या बढ़ते रहने के कारण 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में अनपढ़ों की संख्या बढ़ती जा रही है।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता योजना एवं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे अभियान शुरु किए ताकि साधारण लोगों तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचाई जा सके। वे जो बचपन में शिक्षा से वंचित रह गए, उन्हें शिक्षित करने के लिए सरकार तथा कई स्वंय-सेवी संस्थाओं के विशेष प्रयत्नों से रात्रि पाठशाला और वयस्क शिक्षा केन्द्र खोले जा रहे हैं।

शिक्षा की व्यापकता का उद्देश्य हासिल करने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान तथा कई मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। चौदह साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए 2002 में छयासिवाँ संविधान संशोधन के द्वारा इसे धारा 21A के अन्तर्गत नीति-निर्देशक सिद्धांत के स्थान पर मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है।

7.3.2 बाल मज़दूर

आपने पढ़ा है कि नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार बच्चों को स्वस्थ रूप से विकसित होने के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएं। बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के रोजगार में नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इन प्रावधानों के बावजूद वांछित परिणाम नहीं मिल पाया है। अधिकांश मामलों में बाल मजदूरी को समाप्त करने की दिशा में मां-बाप का दृष्टिकोण ठीक नहीं है। वे अपने बच्चों को कोई भी काम करके पैसे कमाने तथा परिवार की आय में योगदान करने के लिए विवश करते हैं। इच्छा शक्ति की कमी के अतिरिक्त निर्धनता एवं सामाजिक कलंक इस समस्या के निराकरण में बाधक हैं। जब तक इस सामाजिक चुनौती को समाप्त करने के लिए जागरूकता और इच्छा शक्ति अन्दर से पैदा नहीं होती, सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर किए गए प्रयास निरर्थक साबित होंगे। डॉ. अब्दुल कलाम के भारत 2020 का स्वप्न तभी सार्थक हो सकता है जब देश के भविष्य, बच्चे, सुरक्षित एवं शोषण मुक्त हों। बच्चों को अपने बचपन के आनन्द एवं शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

7.3.3 महिलाओं की स्थिति

भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है जिसमें पिता परिवार का मुखिया होता है और मां की स्थिति उससे गौण है। ऐसी स्थिति में महिला की स्थिति स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती है। कठोर सामाजिक प्रथाएँ एवं धार्मिक रीतियों जैसे- पर्दा एवं दहेज के कारण भी महिलाओं को काफी हद तक भुगतना पड़ता है। 2001 के जनगणना के अनुसार कुल महिलाओं की संख्या 49 करोड़ 57 लाख है जो कुल जनसंख्या का 48.3 प्रतिशत है। हमारे संविधान में महिलाओं की स्थिति में उत्थान एवं शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों द्वारा बल दिया गया है। उन्हें आजीविका के साधन एवं पुरुषों की तरह समान कार्य के लिए समान वेतन का अवसर प्राप्त है। महिला कामगारों को स्वास्थ्य-सुविधा एवं प्रसूति के दौरान अवकाश की सुविधा भी प्राप्त है।

मौलिक कर्त्तव्य भी भारत के हर नागरिक को महिलाओं के सम्मान के खिलाफ कुछ भी करने से रोकता है। विभिन्न अधिनियमों एवं न्यायिक निर्णयों ने महिलाओं की प्रतिष्ठा स्थापित की है। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पारिवारिक संपत्ति में उनको हिस्सा देने के उपाए किए गए हैं। दहेज के लिए दुल्हनों को जलाए जाने, पत्नियों का प्रतारण, सती जैसी निष्ठुर प्रथाओं के उन्मूलन के लिए कानून बनाए गए हैं। कन्यावध, भ्रूण हत्या, लड़कियों के प्रति भेद-भाव एवं बाल-विवाह पर प्रतिबंध कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे महिलाओं की स्थिति सुधर सकती है।

महिला सशक्तीकरण के लिए 1992 में संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गयी हैं। संसद एवं राज्य विधायिकाओं में इसी तरह के आरक्षण का प्रस्ताव किया गया है।

यद्यपि बहुत कुछ हासिल किया जा चुका है, फिर भी, लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बहुत करना बाकी है।

पाठगत प्रश्न 7.2

रिक्त स्थान भरिए

(क) स्वतंत्रता के समय भारत में शिक्षित लोगों की संख्या .... थी।

(i) 12%

(ii) 14%

(iii) 16%

(iv) 18%

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आरंभ .... में किया गया।

(i) 1984

(ii) 1986

(iii) 1988

(iv) 1989

(ग) बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान .... के अंतर्गत किया गया।

(i) मौलिक अधिकारों

(ii) नीति-निर्देशक सिद्धांतों

(iii) मौलिक कर्त्तव्यों

(घ) महिला-पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने का प्रबंध .... के अंतर्गत किया गया है।

(i) मौलिक अधिकारों

(ii) मौलिक कर्तव्यों

(iii) नीति-निर्देशक सिद्धांतों

7.4 नीति-निर्देशक सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या

कई आलोचकों ने राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों को ''नव वर्ष की शुभकामनाओं'' से बेहतर नहीं माना है। दरअसल इन उच्च आदर्शों को संविधान में शामिल करने के औचित्य पर भी सवाल उठाया गया है। माना जाता है कि ये निर्देश मात्र शुभकामनाएं हैं जिनके पीछे कोई कानूनी मान्यता नहीं है। सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। आलोचकों का मानना है कि इन सिद्धांतों को व्यावहारिक धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है।

इन सबके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सिद्धांत पूणरूपेण अर्थहीन हैं। इनकी अपनी उपयोगिता और महत्व है। नीति-निर्देशक सिद्धांत ध्रुवतारा की तरह हैं जो हमें दिशा दिखलाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सीमित संसाधनों के बावजूद जीवन के हर पहलू में यथाशीघ्र सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। कुछ सिद्धांतों को तो सफलतापूर्वक लागू भी किया गया है। वास्तव में कोई भी सरकार इन निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकती है क्योंकि वे जनमत का दर्पण हैं, साथ ही ये संविधान की प्रस्तावना की भी आत्मा है। इन्हें लागू करने की दिशा में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:-

(1) भूमि सुधार लागू किये गये हैं तथा जागीरदारी एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया है।

(2) बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण हुआ है एवं हरित क्रांति द्वारा कृषि उत्पाद में काफी बढ़ोतरी हुई है।

(3) महिलाओं के कल्याण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गयी है।

(4) व्यक्ति की भूसंपत्ति की सीमा तय करने के लिए भू-हदबन्दी लागू की गयी है।

(5) रजवाड़ों को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स का उन्मूलन किया गया है।

(6) जीवन बीमा, साधारण बीमा एवं अधिकांश बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है।

(7) आर्थिक विषमता कम करने के लिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है।

(8) निर्धनों की सहायता के लिए सरकार द्वारा जन-वितरण प्रणाली के माध्यम से सहायता दी जाती है।

(9) स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए नियम बनाये गये हैं।

(10) छूआछूत का उन्मूलन किया गया है। अनूसूचित जाति, अनूसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के उत्थान के लिए कारगर प्रयास किए गये हैं।

(11) 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1992) के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देते हुए

और अधिक सशक्त बनाया गया है।

(12) ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि लाने के लिए लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग तथा खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित किया गया है।

(13) भारत अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय रूप से संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करता रहा है।

केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए उपरोक्त कदम यह दर्शाते हैं कि भारत में एक पंक्षनिरपेक्ष समाजवादी एवं लोककल्याणकारी राज्य की नींव डालने के लिए कई नीति-निर्देशक सिद्धांतों को लागू किया गया है। यह सच है कि सभी नीति-निर्देशक सिद्धांतों को पूर्णतया लागू करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है।

नीति-निर्देशक सिद्धांतों को लागू किए जाने के रास्ते में कई बाधाएं हैं। इनमें से मुख्य हैं:- (क) राज्यों में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, (ख) लागों में जागरूकता एवं संगठन का अभाव, और (ग) सीमित संसाधन।

पाठगत प्रश्न 7.3

रिक्त स्थान भरिए

(i) एक .... राज्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए अपनी सेवाएं देने की जिम्मेदारी लेता है। (समाजवादी/कल्याणकारी/धर्मार्थ)

(ii) सरकार ने संपत्ति का .... बंटवारा करने का प्रयत्न किया है। (समान/असमान/सम्माननीय)

(iii) भारत में .... प्रणाली का उन्मूलन कर दिया गया है। (पूंजीवादी/जमींदारी/जातिवाद)

(iv) खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना .... उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। (लघु/मध्यम/कुटीर)

(v) संविधान के .... संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। (71/72/73)

7.5 मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक सिद्धांतों में अंतर

अब आप मौलिक अधिकार एवं नीति-निर्देशक सिद्धांतों के बारे में जान चुके हैं जो कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आपके लिए इनमें अन्तर जानना आवश्यक है।

मौलिक अधिकार नागरिकों की वे मांगे हैं जिनको राज्य ने मान्यता दी है। इनका स्वरूप यह है कि ये सरकार की कुछ शक्तियों पर रोक लगाती हैं। अत: ये अधिकार नकारात्मक प्रकृति के हैं। दूसरी ओर नीति-निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक हैं। सरकार को इनको हर स्तर पर लागू करना पड़ता है ताकि देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए।

एक और अंतर इनमें यह है जो पहले भी बताया गया है कि मौलिक अधिकार न्याययोग्य हैं और इनको लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। नीति-निर्देशक सिद्धांत न्याययोग्य नहीं होते हैं।

दूसरे शब्दों में, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को इन अधिकारों को लागू करने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार है। दूसरी ओर, नीति-निर्देशक तत्व न तो हमें कोई कानूनी अधिकार देते हैं, और न ही कानूनी उपचार। इसका यह अर्थ नहीं है कि नीति-निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों की तुलना में कम महत्व के हैं।

7.5.1. मौलिक अधिकार एवं नीति-निर्देशक सिद्धांतों में संबंध

इन अन्तरों के बावजूद दोनों में गहरा सम्बन्ध है। मौलिक अधिकार जहाँ राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं वहीं नीति-निर्देशक सिद्धांत आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की। कोई भी सरकार नीति निर्माण एवं योजनायें बनाने में इनकी अवहेलना नहीं कर सकती है क्योंकि सरकार अपने कार्यो के लिए आम जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यद्यपि इन सिद्धांतों के पीछे कानूनी स्वीकृति नहीं हैं परन्तु अंतिम स्वीकृति लोगों की होती है। कोई भी सत्तारुढ़ दल यदि इन सिद्धांतों पर अमल नहीं करता है तो जनता उसे दुबारा सत्ता में आने से रोक सकती है। इस तरह हमारा संविधान मौलिक अधिकारों एवं नीति-निर्देशक सिद्धांतों के बीच संश्लेषण कायम करता है। दोनों एक साथ संविधान के मूल तत्व हैं।

पाठगत प्रश्न 7.4

रिक्त स्थान भरिए

(क) मौलिक अधिकारों का उद्देश्य हर .... का विकास करना है। (परिवार, गुट, व्यक्ति)

(ख) नीति-निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति .... है। (नकारात्मक, सकारात्मक, तटस्थ)

(ग) निर्देशक तत्वों का उद्देश्य .... लोकतंत्र की स्थापना है। (राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक-आर्थिक)

(घ) मौलिक अधिकार और नीति-निर्देशक तत्वों के बीच .... संबंध है। (घनिष्ठ, अप्रत्यक्ष)

7.6 मौलिक कर्तव्य

किसी भी समाज का मूल्यांकन करते हुए ध्यान केवल अधिकारों पर ही नहीं दिया जाता है, वरन यह भी देखा जाता है कि नागरिक अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हैं या नहीं।

अधिकार और कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्त्तव्य के बिना अधिकार नहीं होते और अधिकार के बिना कर्त्तव्य। मूल संविधान में जिसे 1950 में लागू किया गया, मौलिक कर्त्तव्यों की चर्चा नहीं की गयी थी। अपेक्षित यह था कि नागरिक स्वेच्छा से अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे। अतएव संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा भाग IV में धारा 51A के अन्तर्गत दस कर्त्तव्यों की सूची जोड़ी गयी। सन् 2002 में एक और कर्त्तव्य इसमें जोड़ दिया गया। ये कर्त्तव्य न्याययोग्य नहीं है।

7.6.1 कर्तव्यों की सूची

(i) संविधान का पालन करें तथा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।

(ii) ऐसे आदर्शों का अनुसरण करें, जिनसे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहन मिलता था।

(iii) भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें।

(iv) जब भी आवश्यकता पड़े तो देश की रक्षा करें।

(v) सभी वर्गों के लोगों में भ्रातृत्व और समरसता की भावना बढ़ाएं और स्त्रियों की प्रतिष्ठा का आदर करें।

(vi) अपनी गौरवशाली परंपरा और समरस संस्कृति को बनाए रखें।

(vii) प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, नदियां, झील और जगत के जीव-जंतु शामिल हैं, का संरक्षण एवं सुधार करना।

(viii) मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास।

(ix) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का प्रयोग न करना।

(x) व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलाप के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रयास करना।

(xi) 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावक द्वारा शिक्षा का अवसर प्रदान करना [86 संविधान संशोधन, 2002, धारा 51 A अनुभाग (K)]।

पाठगत प्रश्न 7.5

हर प्रश्न का उत्तर उसके सामने (हां) या (नहीं) में दीजिए।

(i) अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

(ii) मौलिक कर्तव्य मौलिक संविधान में थे।

(iii) मौलिक कर्तव्यों का मौलिक अधिकारों के साथ उल्लेख किया गया है।

(iv) अब कुल दस मौलिक कर्तव्य हैं।

7.6.2 मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति

हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य केवल आदर्शों की ओर संकेत करते हैं। वे वास्तविक नहीं जान पड़ते। इन कर्तव्यों की विशेष आलोचना इस प्रकार से है कि वे न्याययोग्य नहीं है। जिसका परिणाम यह निकलता है कि ये कर्तव्य संविधान पर बोझ बनकर रह गए हैं। कुछ कर्तव्य तो साधारण मनुष्य की समझ से बाहर है। जैसे गौरवशाली परंपरा और सामाजिक संस्कृति का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कई परिभाषाएं हो सकती हैं। राष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहन देने वाले आदर्श से संबंधित कर्तव्य अस्पष्ट हैं।

मौलिक कर्तव्यों की सूची में अस्पष्ट आदर्शों को सम्मिलित करने का कोई लाभ नहीं है। अच्छा तो यह था कि स्पष्ट कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया जाता और उनका पालन भी आसानी से किया जाता। यदि उनको भंग किया जाए तो सज़ा भी दी जाए। 1976 में एक न्याय शास्त्री ने कहा था कि शायद इन कर्तव्यों का पालन कभी भी नहीं किया जाएगा। यह सब एक पवित्र घोषणापत्र ही हैं। यह सत्य है कि कर्तव्य न्याययोग्य नहीं है, जैसे नीति-निर्देशक सिद्धांत हैं। फिर भी न्यायालयों ने इन पर पूरा ध्यान दिया है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं - पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले उद्योगों को शहर से बाहर भेजना, यमुना के पानी को प्रदूषण से मुक्त रखने के उपाय करना, बूचड़खानों को आबादी के इलाकों से दूर ले जाना, आदि। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के संबंध में हर नागरिक का कर्तव्य है कि स्त्रियों की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने का सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पुर्नस्थापित करने का आदेश दिया है।

नागरिकों के मौलिक कर्तव्य आचार संहिता की तरह हैं। इनमें से कुछ कर्तव्य तो अस्पष्ट तथा अवास्तविक हैं। इन कर्तव्यों का न्याययोग्य न होना उन्हें कम रोचक बना देता है। साथ ही, अस्पष्ट भाषा उनके पालन में बाधा उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, एक नागरिक को ये नहीं पता होता कि वह किस तरह देश की संप्रभुता, अखंडता एवं गौरवपूर्ण विरासत को बनाए रखे।

आलोचकों के तर्क में काफी सच्चाई है फिर भी इन कर्तव्यों को मात्र आदर्श घोषणा कहना उचित नहीं होगा।

पाठगत प्रश्न 7.6

सही शब्द चुनकर लिखिए:

(i) मौलिक कर्तव्य न्याययोग्य/न्यायअयोग्यहैं।

(ii) ये कर्तव्य बहुत ही स्पष्ट/अस्पष्ट हैं।

आपने क्या सीखा

राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग (IV) में सम्मिलित किया गया है। संविधान के निर्माताओं ने सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के विशेष उद्देश्य से संविधान में इन्हें सम्मिलित किया। ये सिद्धांत राज्यों (सरकारों) को लोगों की सामूहिक भलाई के लिए नीति और कानून बनाने के निर्देश देते हैं। ये सिद्धांत न्याययोग्य नहीं हैं और इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। फिर भी देश की सरकार को चलाने के ये मूल आधार हैं।

अपनी सुविधा के लिए हम इनको चार वर्गों में बांटते हैं।

(1) सामाजिक और आर्थिक

(2) गांधीवादी

(3) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

(3) विविध

नीति-निर्देशक सिद्धांत शिक्षा की व्यापकता, बाल मजदूरी का उन्मूलन तथा स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने पर जोर देते हैं। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र का ढांचा बनाते हैं।

मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक सिद्धांतों में कई महत्त्वपूर्ण अंतर हैं। मौलिक अधिकार न्याययोग्य होते हुए भी नकारात्मक हैं जबकि नीति-निर्देशक सिद्धांत न्याययोग्य नहीं हैं और फिर भी स्वाभाविक रूप से सकारात्मक हैं।

इन दोनों में गहरा संबंध होता है। ये दोनों ही सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब उच्चतम न्यायालय ने भी इन नीति-निर्देशक सिद्धांतों पर जोर दिया है।

पाठांत प्रश्न

1 राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति का मूल्याकंन कीजिए। इनके पीछे क्या शक्ति है?

2 राज्यों के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए।

3 शिक्षा की सार्वभौमिकता के नीति-निर्देशक सिद्धांत को किस तरह लागू किया गया है?

4 निम्नलिखित नीति-निर्देशक सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए:

(क) बाल मज़दूरी का उन्मूलन

(ख) महिलाओं के स्तर में सुधार

Q.5 नीति-निर्देशक सिद्धांतों को क्रियान्वित करने में राज्य की क्या भूमिका है?

Q.6 मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के पारस्परिक संबंध का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

Q.7 हमारे संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध करें।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

7.1

(i) गाँधीवादी

(ii) सामाजिक आर्थिक

(iii) सामाजिक आर्थिक

(iv) सामाजिक आर्थिक

(v) विविध

(vi) विविध

7.2

(क) 14%

(ख) 1986

(ग) मौलिक अधिकार

(घ) नीति-निर्देशक सिद्धांत

7.3

(i) कल्याणकारी

(ii) सम्माननीय

(iii) जमींदारी

(iv) लघु

(v) 73वां

7.4

(क) व्यक्ति

(ख) सकारात्मक

(ग) सामाजिक-आर्थिक

(घ) घनिष्ठ

7.5

(i) हां

(ii) नहीं

(iii) नहीं

(iv) नहीं

7.6

(i) न्याय-अयोग्य

(ii) अस्पष्ट

पाठांत प्रश्नों के लिए संकेत

(1) खण्ड 7.1और 7.2 देखें

(2) खण्ड 7.2 देखें

(3) खण्ड 7.3.1 देखें

(4) खण्ड 7.3.2 और 7.3.3 देखें

(5) खण्ड 7.4 देखें

(6) खण्ड 7.5.1 देखें

(7) खण्ड 7.6.1 देखें